भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3697
11.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

पंजाब को इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पहलों में शामिल करना

3697. **श्री मलविंदर सिंह कंगः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंजाब राज्य को सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पहलों के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) पंजाब में निर्माताओं को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है तथा राज्य में स्वीकृत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत सृजित निवेश और संभावित रूप से सृजित होने वाले रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पंजाब से कोई अतिरिक्त प्रस्ताव विचाराधीन है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): इलेक्ट्रिक वाहन के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) निम्नलिखित दो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है:

i. भारत में ऑटोमोबिल एवं ऑटो घटक उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम (पीएलआई-ऑटो स्कीम) की अधिसूचना दिनांक 23.09.2021 को उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों (ईवी सहित) के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ जारी की गई थी। इस स्कीम का कार्यान्वयन देशभर में (पंजाब सहित) किया गया है तथा दिनांक 31.03.2026 की

स्थिति के अनुसार पंजाब में दो (2) इकाइयां स्थापित की गई हैं। स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:-

मापदंड	दिनांक 31.03.2026 तक संचयी
निवेश (करोड़ रुपए)	44,326
वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष वित्तवर्ष 2019-20) (करोड़ रुपए)	52,414
सृजित रोजगार (संख्या)	67,820
संवितरित प्रोत्साहन (करोड़ रुपए)	2,386.36

ii. राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए पीएलआई स्कीम की अधिसूचना दिनांक 09.06.2021 को देश में एसीसी के विनिर्माण हेतु 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ जारी की गई थी। 50 जीडब्ल्यूएच की कुल क्षमता में से 40 जीडब्ल्यूएच एसीसी क्षमता अंतिम उपयोग से निर्पेक्ष है तथा इसका उपयोग किसी भी अनुप्रयोग (ईवी सहित) के लिए किया जा सकता है। पीएलआई एसीसी स्कीम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है तथा इसमें सेल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए विशिष्ट स्थानों का निर्धारित अथवा अनिवार्य नहीं किया गया है। दिनांक 04.08.2026 तक पीएलआई एसीसी स्कीम के अंतर्गत किसी भी लाभार्थी फर्म द्वारा कोई प्रोत्साहन दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

iii. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने संबंधी स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) की अधिसूचना दिनांक 15.03.2024 को जारी की गई थी। आवेदन खिड़की 120 दिनों के लिए दिनांक 21.10.2025 तक खुली थी, तथापि कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

*****